राजस्थान–सरकार
राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर
प्लॉट नं 6–7, एवरेस्ट कॉलोनी, नियर अपेक्स मॉल, लाल कोठी, जयपुर–302015
फोन नम्बर 0141–2973804, 2988946 **Website:-** www.rajasthanparamedicalcouncil.org

क्रमांकः– रा.पै.मेडि.कौं / काउन्सलिंग / 2018 / 2438 **दिनांकः–** 31-08-18

प्रधानाचार्य,
संबद्ध समस्त पैरामेडिकल कॉलेज,
राजस्थान।

विषयः– सत्र 2018–19 की प्रथम काउन्सलिंग के अभ्यर्थियों की जोईनिंग हेतु दिशा–निर्देश हेतु।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सत्र 2018–19 के लिए विभिन्न पैरा मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आज दिनांक 31.08.2018 को प्रथम काउन्सलिंग आयोजित की जा चुकी है। काउन्सलिंग द्वारा संलग्न सूची के अनुसार (संलग्न) अभ्यर्थियों को उनकी पात्रतानुसार पाठ्यक्रम–महाविद्यालय आवंटित किये गये है। प्रथम काउन्सलिंग में चयनित सभी अभ्यर्थियों को दिनांक 07.09.2018 तक कार्यालय समय से पूर्व अनिवार्य रूप से अपनी उपस्थिति आवंटित महाविद्यालय / संस्था में देनी है, निर्धारित समय तक उपस्थिति देने वाले, अभ्यर्थियों को महाविद्यालय में प्रवेश देने के लिए निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें:–

1. प्रवेश सूची में नाम एवं महाविद्यालय में प्रवेश हेतु उपस्थिति देने वाले सभी अभ्यर्थियों की कक्षा–10 एवं 12 की मूल अंकतालिका प्राप्त कर 12वीं कक्षा के प्राप्तांकों का मिलान प्रवेश सूची से दिये गये अंकों से करें, मिलान के पश्चात् रिकॉर्ड को महाविद्यालय की सील से प्रमाणित करते हुए अभ्यर्थी की 10वीं व 12वीं कक्षा की मूल अंकतालिका, आव्रजन प्रमाण–पत्र (Migration Certificate), मूल निवास एवं जाति प्रमाण पत्र मूल प्रति महाविद्यालय में जमा कर के काउन्सलिंग द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध करवायें। छात्रों को मूल दस्तावेज परीक्षा हेतु नामांकन होने के बाद उपलब्ध करा दिये जायेंगे। अतः सभी अभ्यर्थियों के अपने मूल दस्तावेजों के आवश्यक मात्रा में फोटो प्रतियां करवा लेने हेतु निर्देशित एवं पाबन्द करें।
2. अभ्यर्थी के द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के अलावा अन्य बोर्ड से 10वीं व 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होने पर उसका सत्यापन संबंधित बोर्ड से करावें एवं अजमेर बोर्ड से समकक्षता का प्रमाण पत्र लेवें।
3. अंकतालिका के मिलान के समय यह सुनिश्चित करें कि **उच्च माध्यमिक परीक्षा सामान्य वर्ग अभ्यर्थी द्वारा न्यूनतम 45 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन–जाति अभ्यर्थी द्वारा न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण की गई हो।** इससे कम अंक वाले अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र नहीं है तथा आवंटन सूची में नाम होने पर भी प्रवेश नहीं दिया जायें।
4. अभ्यर्थी द्वारा उच्च माध्यमिक परीक्षा विज्ञान वर्ग (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान व गणित विषय) से उत्तीर्ण की गई है, यह सुनिश्चित करें। **भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान व गणित विषयों के अलावा अन्य विषयों यथा कृषि विज्ञान, भूगोल विज्ञान आदि विषयों से उच्च माध्यमिक उत्तीर्ण**

अभ्यर्थी पैरा मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्र नहीं है। किसी भी अनियमित प्रवेश पर समस्त जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय की होगी।

5. अभ्यर्थी की **आयु दिनांक 31.12.2018 तक 17 वर्ष** पूर्ण होनी अनिवार्य है।
6. काउन्सलिंग से आवंटित प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालय में उपस्थिति देने के पश्चात् दस्तावेज सत्यापन के पश्चात् प्रवेश हेतु पात्र पाये जाने पर उसी समय सर्वप्रथम महाविद्यालय/कॉलेजों की SSO ID को Login करने पर वहाँ प्रदर्शित एप्लीकेशन (Application) HTE को खोलकर वहाँ पर दिये गये विकल्प Select Organization में Rajsthan Paramedical Council तथा Application में DMHS-Paramedical Council Admission 2018-19 का चयन कर आपको प्रशिक्षण के समय उपलब्ध करवाये गये User Manual के अनुसार प्रवेश सम्बन्धी समस्त कार्यवाही सम्पन्न करनी है। अभ्यर्थी के प्रवेश हेतु उपस्थिति (Reporting) की सूचना दर्ज की जायेगी। प्रवेश एवं काउन्सलिंग सॉफ्टवेयर पर अभ्यर्थी की उपस्थिति (Reporting) की सूचना दर्ज नहीं करने एवं केवल ऑफ लाईन दस्तावेज प्राप्त कर शुल्क जमा कर लेने पर प्रवेश पूर्ण नहीं माना जायेगा तथा ऐसी सीटों को रिक्त मानते हुए द्वितीय काउन्सलिंग में अन्य अभ्यर्थियों को आवंटित कर दिया जायेगा।
7. प्रथम काउन्सलिंग में प्रवेश हेतु चयनित अभ्यर्थियों के लिए महाविद्यालय प्रवेश लेने की **अंतिम तिथि दिनांक 07.09.2018 सांय 4.00 बजे** तक आवश्यक रूप से उपस्थित होना होगा ताकि प्रवेश के अंतिम समय सांयकाल 6.00 बजे सॉफ्टवेयर के 'डिएक्टीवेट' (**Deactivate**) होने से पहले प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण हो सकें। **दिनांक 07.09.2018 को सांयकाल 6 बजे** सॉफ्टवेयर का प्रथम काउन्सिलिंग प्रवेश लिंक स्वतः ही निष्क्रिय हो जायेगा तथा उसके बाद रिक्त रही सीटें द्वितीय काउन्सिलिंग में आवंटित की जायेगी।
8. पैरा मडिकल पाठ्यक्रमों की प्रायोगिक प्रकृति एवं पैरा मेडिकोज द्वारा किये जाने कार्यों की प्रकृति के मध्यनजर विशेष योग्य श्रेणी में केवल L.D. श्रेणी के अभ्यर्थियों को ही विशेष योग्यजन (Specially abled) की आरक्षित सीटों पर प्रवेश देय होगा। उस श्रेणी में आरक्षण का लाभ 40 प्रतिशत से अधिक निःशक्तता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगा।
9. जिन अभ्यर्थियों को प्रथम काउन्सलिंग में अपनी वरीयता का पाठ्यक्रम/महाविद्यालय आवंटित नहीं हुआ है अथवा प्रथम काउन्सलिंग में आवंटित पाठ्यक्रम/महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लेते है उन्हें प्रथम काउन्सलिंग के पश्चात् प्रवेश की समय सीमा दिनांक 07.09.2018 को सायकांल समाप्त होने के पश्चात् उपलब्ध शेष रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु विकल्प का अवसर दिया जायेगा इसके लिए दिनांक 07.09.2018 के पश्चात् उपलब्ध रिक्त सिटों के सम्बन्ध में सूचना जारी की जायेगी। रिक्त सीटों पर प्रवेश के इच्छूक अभ्यर्थी अपनी Application ID और जन्म तिथि (DoB) के उपयोग द्वारा पैरा मेडिकल कौंसिल की वैबसाईट पर इस हेतु दिये गये लिंक पर जाकर विकल्प भर सकते है।
10. जिन अभ्यर्थियों को प्रथम काउन्सलिंग में कोई भी पाठ्यक्रम एवं महाविद्यालय आवंटित नहीं हुआ है एवं अपनी पसन्द का पाठ्यक्रम/महाविद्यालय आवंटित नहीं होने पर प्रवेश नहीं लेने वाले अभ्यर्थी विकल्प प्रस्तुत कर द्वतीय काउन्सलिंग में शामिल हो सकेंगे।

11. प्रथम काउन्सलिंग के वें अभ्यर्थी जो निर्धारित उचित दस्तावेजों के अभाव में अथवा किन्हीं कारणोवश निर्धारित तिथि तक प्रवेश नहीं ले पाते है उन्हें द्वितीय काउन्सलिंग में शामिल किया जायेगा तथा वे इस हेतु अपना विकल्प भर सकते है।
12. यदि कोई अभ्यर्थी गलत विवरण देकर या सूचना छुपाकर अथवा किसी प्रकार से अयोग्य होने पर भी किसी भी कारणवश प्रवेश प्राप्त कर लेता है तो गलती का पता चलने पर, चाहे छात्र उस समय किसी भी कक्षा में अध्ययन कर रहा हो, उसका प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा। प्रवेश हेतु उपस्थिति (Reporting) के समय छात्र को इस सम्बन्ध में स्पष्ट रूप अवगत कराया जाये।

सॉफ्टवेयर पर अभ्यर्थियों के प्रवेश सम्बन्धी समस्त कार्यवाही के लिए दिनांक 28.08.2018 को प्रशिक्षण के समय उपलब्ध करवाये गये एवं पैरा मेडिकल काउन्सिल की वैबसाईट पर उपलब्ध 'उपयोगकर्त्ता निर्देश' (User Menual) का अच्छी तरह अध्ययन कर ले।

संलग्न: User Manual

रजिस्ट्रार

क्रमांकः– रा.पै.मेडि.कौं/काउन्सलिंग/2018/2438 **दिनांकः–** 31-08-18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित हैः–

1. श्रीमान् विशिष्ठ सहायक, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
2. श्रीमान् विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं (ESI), राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. अध्यक्ष, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर।
6. परीक्षा नियत्रंक, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर।
7. निजी सहायक, रजिस्ट्रार, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर।
8. परीक्षा शाखा, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर।
9. सर्वररूम प्रभारी, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

रजिस्ट्रार